Service Rules Applicable to All

संख्या : 1479/ 111(1)/18–09(27)/सामान्य/18

1.T. Head website ?

प्रेषक,

प्रदीप मोहन नौटियाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 08 अक्टूबर, 2018

विषयः– राज्यधीन सेवा में दिव्यांगजनों हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–232(1)/XXX (2)/18 दिनांक 26.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से राज्यधीन सेवा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांगजन) व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता तथा दिव्यांगजनों हेतु विकलांगता की श्रेणी के पदों का चिन्हांकन आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– अतः उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.09.2018 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये शासन को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों की गणना कर रोस्टर का रजिस्ट्रर तैयार कर लिया गया है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।

I.T.
upload करें।
09-10-18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्याः– /XXX(2)/2018/30(05)/2014
देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 एवं तत्संबंधी समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए, भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49/ 2016) दिनांक 27.12.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 27.10.2017 एवं शासनादेश संख्या–112/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 14.06.2018 के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन हेतु विकलांगता की श्रेणी हेतु निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ हैः–

1. **दिव्यांगजन हेतु आरक्षण की मात्राः–** दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भारत सरकार के अधिनियम, 2016 द्वारा निम्नलिखित श्रेणी a, श्रेणी b व श्रेणी c के लिए 1–1 प्रतिशत आरक्षण तथा श्रेणी d व श्रेणी e, दोनों के लिए कुल 1 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया हैः–
   (a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता)
   (b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना)
   (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है)
   (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग)
   (e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)

2. **दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकनः–**
   राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षित पदों के चिन्हांकन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/XXX (2)/18/30(05)/14 दिनांक 03.03.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित द्वारा संस्तुत समूह क, ख, ग एवं घ के पदों पर नियमानुसार लागू होगा।

3. **दिव्यांगजन हेतु उपयुक्त पदों का चिन्हांकनः–**
   समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत दिव्यांगजन की विकलांगता के दृष्टिगत पदों को अधिसूचित किया जायेगा। संबंधित विभागों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पहले से चिन्हित पदों के अतिरिक्त, पदों की पहचान करने का अधिकार समिति को होगा। समिति द्वारा दिव्यांगजन की संबंधित पद पर कार्य करने की सुविधा/उपयोगिता के संबंध में प्रत्येक 03 वर्ष में चिन्हांकित पदों का पुनः परीक्षण किया जायेगा। समिति दिव्यांगत हेतु चिन्हित पदों को दिव्यांगता की समस्त अथवा एक से अधिक श्रेणी के लिए चिन्हित कर सकती है, जिसमें राज्य में दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर विचार किया जायेगा।

4. **दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त रखा जानाः–**
   यदि किसी विभाग द्वारा किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगजन आरक्षण से अंशतः अथवा पूर्णतः मुक्त रखा जाना आवश्यक समझा जाय तो संबंधित विभाग यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष

जायेगी।

5.दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद के स[redacted] संबंध में:–

दिव्यांगता हेतु चिन्हित [redacted] वेतनमान अथवा एक समूह (ग्रेड) से दूसरे समूह (ग्रेड) में परिवर्तित होने पर भी उस पद चिन्हांकन बना रहेगा।

6.अनारक्षित पदों पर नियुक्ति:–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है। इस तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

7.योग्यता के आधार चयनित उम्मीदवारों का समायोजन:–

मानदण्डों में शिथिलीकरण के बिना, योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ सीधी भर्ती से चयनित दिव्यांगताग्रस्त व्यक्ति का समायोजन आरक्षित रिक्ति के सापेक्ष नहीं किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियाँ ऐसे दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी जो अन्यथा शिथिलीकृत मानदण्डों में चयन हेतु उपयुक्त हों।

8.दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी:–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार द्वारा गठित राज्य मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। मेडिकल में बोर्ड में कम से कम तीन सदस्य हाने आवश्यक हैं, जिनमें से कम से कम एक सदस्य यथा चलन प्रक्रिया संबंधी दिव्यांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण ह्रास/आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए।

9.मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता:–

मेडिकल बोर्ड समुचित जाँच–पड़ताल के पश्चात स्थायी दिव्यांगता के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन संभावना न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र जारी करने की वैधता अवधि इंगित करेगा, जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक को सुनने का समुचित अवसर दिया जायेगा तथा मेडिकल बोर्ड आवेदक के अभ्यावेदन पर समस्त परिस्थितिजन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा कर अपने विवेकांनुसार आदेश पारित कर सकेगा।

10.सीधी भर्ती में आरक्षण की गणना:–

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के मामले में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती उनके लिए उपयुक्त चिन्हित पदों पर ही की जायेगी तथापि क्षैतिज आरक्षण की गणना समूह "ख", "ग" एवं "घ" (यदि समूह "घ" का पद मृत संवर्ग से बाहर हो) रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।

11.पदोन्नति में आरक्षण की गणना:–

राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित अधिष्ठान में समूह "ख" "ग" एवं "घ" से सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत उपयुक्त चिन्हित एवं भरे गये पदों के आधार पर गणना की जायेगी एवं यथासंभव जहाँ आवश्यक समझा जाय, वहाँ पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा। चूँकि वर्तमान में राज्यान्तर्गत किसी भी श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं है, अतः दिव्यांगजनों की पदोन्नति हेतु उपयुक्त चिन्हित पदों पर नियम 13 में उल्लिखित रोस्टर के अनुसार गणना की जायेगी।

12.दिव्यांग आरक्षण हेतु रोस्टर का रखरखाव:–

(क).राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों का उपयुक्त चिन्हित पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती हेतु समूह "ख" "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक–पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ख).नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार रोस्टर में 100 बिन्दुओं को चार खण्डों में विभाजित किया जायेगाः–

(क)	अन्धता और निम्न दृष्यता	रोस्टर क्रमांक 25
(ख)	बधिर और कम सुनाई देना	रोस्टर क्रमांक 50
(ग)	चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है	रोस्टर क्रमांक 75
(घ)	आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।	रोस्टर क्रमांक 100
	या	
	उपरोक्त से क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यागंता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता, जैसी भी स्थिति हो,	

परन्तु यदि किसी प्रखण्ड में चिन्हित दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरा जा सकेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। यदि दिव्यांग आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी रिक्ति को अन्य सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकता है किन्तु अगले चयन वर्ष में पुनः दिव्यांग अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार सतत् प्रक्रिया जारी रहेगी।

13.सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों हेतु आरक्षणः–

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पश्चात् राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा किन्तु ऐसा आरक्षण उन्हीं पदों पर लागू होगा, जो दिव्यांगता हेतु चिन्हित हों।

14. आयु सीमा में छूटः–

राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शासनादेश संख्या–1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21.5.2005 के अनुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी, भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं।बशर्ते कि पद दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

15. उपयुक्तता मानदण्डों में छूटः–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार उपयुक्तता के निर्धारित मानदण्डों में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।

16. स्वास्थ्य परीक्षाः–

दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

17. परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क से छूटः–

राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विहित आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट उन्हीं दिव्यांगजनों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा

आवेदित पद पर चयन हेतु उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।

18. रिक्तियों हेतु नोटिसः–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों का रोजगार केन्द्रों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि को नोटिस/विज्ञप्ति प्रकाशित करते समय निम्न तथ्यों का संज्ञान लिया जायः–

1.सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित पदों की विज्ञप्ति निर्गत करते समय (a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्यता) (b). deaf and hard of hearing; (बधिर और कम सुनाई देना) (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है) (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e). multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है) आदि हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शायी जाय, जैसा कि समय–समय पर श्रेणीवार उपयुक्त चिन्हित किया गया हो।

2. दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों पर चयन हेतु दिव्यांगता का मानक वही होगा,जो भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्राविधानित है।

19. **मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्रः–**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पद पर चयन हेतु मांगपत्र प्रेषित कर समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगाः–

"प्रमाणित किया जाता है कि इस माँगपत्र को भेजते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित सुसंगत प्राविधानों का पालन किया गया है तथा दिशा–निर्देश के प्रस्तर 13 में उल्लिखित रोस्टर चक्र का पालन किया गया है।"

20. **दिव्यागंता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्टः–**

क. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की माह जनवरी में विभागवार एवं पदवार प्रत्येक दिव्यागंता हेतु चिन्हित पदों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसमें पदों की कुल संख्या, उनके विरूद्ध कार्यरत कार्मिकों की संख्या तथा रिक्तियों की वास्तविक संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी। किसी विभाग विशेष में रिक्ति की उपलब्धता के दृष्टिगत संबंधित प्रशासकीय विभाग को सूचित किया जायेगा और प्रशासकीय विभाग द्वारा अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संविधिक, अर्द्ध सरकारी, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के संदर्भ में इस आशय की सूचना का विवरण सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

ग. समाज कल्याण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया समेकित विवरण कार्मिक विभाग को भी प्रेषित किया जायेगा।

21. **विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारीः–**

प्रत्येक प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो विभाग में होने वाले चयनों में विज्ञप्ति प्रकाशित होने/चयन समिति द्वारा विचार करने से पूर्व निगरानी/पर्यवेक्षण करेगा।

hearing; (बधिर और कम सुनाई देना) (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy curec dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्ग परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है) (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिव दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ठ दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e). multiple disabiltites from amongs persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities: (से d के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियो से बहु दिव्यागंता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है आदि दिव्यांगताओं की परिभाषाएं भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 व साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 232 (1) /XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव